बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

1/पी.एम.सी./विविध/931/2013............../ पटना, दिनांक..................../

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या-1/पी.एम.सी./विविध/931/07 दिनांक-03.01.2014 के द्वारा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के कार्य हेतु सूचीवद्ध परामर्शियों को कार्यहित में दो ग्रूपों में विभक्त किया गया है। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) योजनाओं का संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित मुख्य अभियंता विभागीय स्तर पर गठित PIU (योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1) जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगें।

(2) PIU योजनाओं के संभाव्यता प्रतिवेदन के आधार पर योजना का Draft RFP तैयार कर मुख्य अभियंता आयोजन एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद को उपलब्ध करायेंगे।

(3) मुख्य अभियंता योजना आयोजन एवं जल विज्ञान, पटना अपने अधीन कार्यरत योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल (मध्य) अनिसाबाद, पटना के द्वारा योजना का RFP उपर्युक्त विभागीय आदेश में निहित शर्तो के अनुरूप निर्गत करते हुए परामर्शी को कार्य आवंटित करेंगे एवं परियोजनाओं के प्रतिवेदनों की स्वीकार्यता की जॉच तथा एकरारनामा कर भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

(4) परामर्शियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की समीक्षा जल विज्ञान निदेशालय एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपाकंण एवं शोध, जल संसाधन विभाग से कराने के पश्चात मुख्य अभियंता योजना आयोजन एवं जल विज्ञान, केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार/ गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद को भेजेंगे साथ ही वे प्रतिवेदन पर प्राप्त सुझावों का अनुपालन भी परामर्शी द्वारा करायेगे।

ह0/-

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक-08............/ पटना, दिनांक-03/01/014

प्रतिलिपि सभी परामर्शी/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.1.14

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मध्य)